

के लिये अधिनियमिती कयल गयल थल ।

पृष्ठभूमि:

- पीओएसएच अधिनियम की उत्पत्ति 1997 के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में निहित है, जिसने महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिये वशिखा दशिा-नरिदेश तैयार कयल ।
- ये दशिा-नरिदेश संवैधानिक सिद्धांतों (जैसे अनुच्छेद 15, जो लल गे के आधर पर भेदभाव को रोकतल है) तथल अंतरराष्टरीय समलेनों (जैसे महललओं के वरिद्ध सभल परकार के भेदभाव के उनमूलन पर अभसिमय (CEDAW), जसल भारत ने वर्ष 1993 में अनुमोदतल कयल थल, पर आधरतल है, जो अधिनियम के लयल आधर के रूप में करय करतल है ।

यौन उत्पीड़न:

- अधिनियम में यौन उत्पीड़न को व्यापक रूप में परभाषतल कयल गयल है, जसमें अवांछतल शारीरिक संपर्क, यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लयल अनुरोध, यौन रूप से रंजतल टपिपणयल, पोरनोग्राफी दखलनल तथल यौन प्रकृतल कल कोई भी अन्य अवांछतल आचरण, चलहे वल शारीरिक, मौखिक यल गैर-मौखिक हो, शलमल है ।

करयस्थल की परभाषल:

- POSH अधिनियम की धरल 3(1) में कल गयल है कल “कसल भी महलल को कसल भी करयस्थल पर यौन उत्पीड़न कल सलमनल नही करनल पड़ेगल ।” “करयस्थल” की परभाषल व्यापक है और इसमें शलमल है:
 - सरकर दवलरल सथापतल यल वतितपोषतल सारवजनक क्षेतर के संगठन ।
 - नजल क्षेतर के संगठन ।
 - रोज़गार के दौरलन करमचरयलं दवलरल दौरल कयल गए सथलन ।

परमुख प्रलवधलन:

- रोकथलम और नषिध: यह अधिनियम करयस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और नषिद्ध करने के लयल नयलकृतलओं पर कलनूनी दलयतलव डललतल है ।
- आंतरकल शकलयत सलमतल (ICC): नयलकृतलओं को यौन उत्पीड़न की शकलयतों को प्रलप्त करने और उनकल सलधलन करने के लयल 10 यल अधकल करमचरयलं वलले परत्येक करयस्थल पर एक ICC कल गठन करनल आवश्यक है ।
 - शकलयत सलमतलयलं को सलकष्य एकतर करने के लयल सवलल न्यायलयलं के सलमन शकतलयलं प्रलप्त है ।
 - ICC के वरिद्ध अपील औदयगकल न्यायलधकलरण यल श्रम न्यायलयल में दलयर की जल सकतल है ।
 - जलन संगठनों में 10 से कम करमचरल हों यल वशिषिट परसलथतलयलं में आंतरकल सलमतल (IC) न हो, वहाँ शकलयतें प्रलप्त करने और उनकल सलधलन करने के लयल जलललधकलरल दवलरल सथलनीय सलमतल (LC) गठतल की जलतल है ।
- नयलकृतलओं के करततव्य: नयलकृतलओं को जलगरूकतल करयकरम चललने चलहयल, सुरकषतल करय वलतलवरण प्रदलन करनल चलहयल और करयस्थल पर POSH अधिनियम के बलरे में जलनकलरी प्रदरशतल करनी चलहयल ।
- शकलयत तंतर: अधिनियम में शकलयत दर्ज करने, जलंच करने तथल संबधतल पकषों को उचतल अवसर प्रदलन करने की प्रकरयल नरिधरतल की गई है ।
- दंड: अधिनियम के प्रलवधलनों कल अनुपललन न करने पर जुरमलनल और वयवसलय ललइसेंस रदद करने सलहतल दंड आरोपतल कयल जल सकतल है ।

करयस्थल पर यौन उत्पीड़न पर न्यायमूरतलवरमल सलमतल की सफलरशलं:

न्यायमूरतलवरमल सलमतल कल गठन वर्ष 2012 के दललली सलमूहकल बललतकर मलमले के बलद महललओं के खलललफ यौन हसल से संबधतल कलनूनों की सलमीकषल के लयल कयल गयल थल । इसने करयस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबध में कई परमुख सफलरशलं की, जैसे:

- घरेलू कलमगलरों को शलमल करनल: सलमतल ने सफलरशल की कल घरेलू कलमगलरों को यौन उत्पीड़न से सुरकषल सुनशलचतल करने के लयल POSH अधिनियम के अंतरगत शलमल कयल जलनल चलहयल ।
- नयलकृतल दवलरल मुलवजल: सलमतल ने सुझलव दयल कल नयलकृतल को करयस्थल पर यौन उत्पीड़न की शकलर महललओं को अन्य कलनूनी उपलयलं के सलथ-सलथ मुलवजल देने के लयल उत्तरदलयल होनल चलहयल ।
- रोज़गार न्यायलधकलरण: केवल आंतरकल शकलयत सलमतल (ICC) पर नरिभर रहने के बजलय, सलमतल ने यौन उत्पीड़न की शकलयतों के सलधलन के लयल एक रोज़गार न्यायलधकलरण की सथलपनल कल प्रस्ताव रखल, जससे अधकल नषिपकष और व्यापक नरिणय सुनशलचतल हो सके ।

रलजनीतकल दलं में POSH अधिनियम के अनुप्रयग में कयल चुनौतलयलं हैं?

- पारंपरकल संरचनल कल अभव:
 - रलजनीतकल दल प्रलय: असथलयी करयकरतलओं को नयलकृत करते हैं, जलनकल कोई पलरभाषकल करयस्थल यल उचच पदसथ

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में POSH अधिनियम की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। क्या राजनीतिक दलों को इसके दायरे में लाया जाना चाहिये? तर्कों एवं उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

?????:

प्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रतियोगिता-उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के वरिद्ध वदियमान वधिकि उपबंधों के होते हुए भी, ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से नपिटने के लयि कुछ नवाचारी उपाय सुझाइये। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/applying-posh-act-in-political-parties>

